फौज0वाद सं0 33/07
सरकार बनाम रूपचन्द सिघंल आदि
धारा 13(1)डी/ 13(2) भ्र0नि0अधि0
थाना रकाबगंज, जिला आगरा ।

05–8–2017

पुकार करायी गयी ।

अभियुक्त अजय गोयल की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्व जो अभियोग आरोप पत्र में लगाये गये है उससे उसे उन्मोचित किया जाय।

प्रार्थनापत्र के साथ याचिका सं0 24986/07 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 11–01–2017 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका अर्न्तगत धारा 482 निरस्त करते हुए उसे यह विकल्प प्रदान किया गया है कि यदि वह चाहे तो न्यायालय के समक्ष उन्मोचन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उन्होनें उपरोक्त प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11–01–2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। जिनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अभियेाजन की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला वर्ष 2007 से विचाराधीन है । प्रार्थी अभियुक्त न तो अभी तक न्यायालय में उपस्थित हुआ है और न ही उसने आज तक अपनी जमानत नहीं करायी है, अतः इस स्तर पर प्रार्थनापत्र पोषनीय नहीं है।

सुना ।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात है कि अपराध सं0 308/2000 अर्न्तगत धारा 406,409,419,420,423,465,467,468,471,477ए,120बी भा0द0सं0 व धारा 13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) भ्रं0नि0अधि0 थाना रकाबगंज, जिला आगरा के अर्न्तगत अभियुक्तगण रूप चन्द सिघंल, अजय गोयल, राम प्रकाश गुप्ता व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण अभी तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11–01–2017 के ससम्मान परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कों यह अनुमति प्रदान नहीं की गई है कि वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी जमानत न कराये और उसके पूर्व ही उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करे । माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे प्राचीन वादों को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु लगातार दिशानिर्देश दिये जा रहे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं0 509/2017 हुसैन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एसएलपी (क्रिमिनल) 4437/16 में यह निर्धारित किया गया है कि पाचं वर्ष से लम्बित पुराने वादों का निस्तारण यथासम्भव वर्ष के अन्त तकं किया जाय । यह भी उल्लेखनीय है कि यह वाद इस न्यायालय के अत्यन्त प्राचीनतम वादों मे से एक है जो वर्ष 2007 से अभियुक्तगण की हाजिरी हेतु लम्बित है जिसके कारण मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ पा रही है।

वर्तमान में अजय गोयल की ओर से प्रस्तुत याचिका 24926/07 निरस्त हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में, जब तक अभियुक्त अजय गोयल व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करता है तब तक उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई किया

जाना इस प्रक्रम पर अपेक्षित नहीं है। अभियुक्त के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के उपरान्त उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जायेगा।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दि0 23–8–2017 को पेश हो ।

विशेष न्यायाधीश, भ्र0निवा0अधि0/अपर सत्र न्यायाधीश
मेरठ।

उल्लेखनीय है कि याचिका सं0 7933/06 राम प्रकाश गोयल, याचिका सं 13899/06 रूप चन्द सिघल व याचिका सं0 6050/07 बदन सिंह, नेकराम व मुन्ना लाल (बदन सिहं फरार) की ओर से दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने तक उनके विरूद्व गिरफतारी पर रोक लगायी गयी है। आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त अभियुक्त अजय गोपाल की ओर से सिविल मिस0सं0 24986/07 प्रस्तुत की गई जिसमे उसके विरूद्व कोई भी प्रतिरोधी आदेशिका निर्गत करने से रोक लगायी गयी है । तत्पश्चात सह अभियुक्त राम प्रकाश , मुन्ना लाल की ओर से याचिका सं0 28038/07 योजित की गई जिसे अजय गोपाल की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका 24986/07 से सम्बद्व किया गया है और समान आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । अतः उपरोक्त तिथि हेतु उनके विरूद्व समन वास्तें हाजिरी जारी हो ।

विशेष न्यायाधीश, भ्र0निवा0अधि0/अपर सत्र न्यायाधीश
मेरठ।